न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2016 निगरानी निग – 3362 – II – 16

1– महिला कस्तूरी वेवा पत्नी हल्लूराम निवासी ग्राम मनियर, तहसील व जिला शिवपुरी (म0प्र0)

2– महिला राजकुमारी पुत्री श्री हल्लूराम हाल निवासी – छत्री वाणगंगा के पास, शिवपुरी, जिला शिवपुरी (म0प्र0)

--- आवेदिकागण

बनाम

1– महिला पुष्पादेवी पत्नी श्री जगदीश प्रसाद पाठक,

2– श्रीमती गोमती पत्नी स्व. श्री हरिकृष्ण शुक्ला, निवासी – वीरसावरकर कॉलोनी, शिवपुरी, जिला शिवपुरी (म0प्र0)

3– श्रीमती सरोज सेन पत्नी श्री घनश्याम सेन, निवासी – वीरसावरकर कॉलोनी, शिवपुरी, जिला शिवपुरी (म0प्र0)

4 – म. प्र. शासन

--- अनावेदकगण

निगरानी आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 23.07.2015 पारित न्यायालय तहसीलदार, शिवपुरी, जिला शिवपुरी के प्रकरण क्रमांक 100/2014–15/अ–12

माननीय न्यायालय,

आवेदिकागण की ओर से निगरानी आवेदन–पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

1– यहकि, आवेदिकागण के आधिपत्य की विवादित भूमि सर्वे नम्बर 11 रकवा 0.794 हैक्टेयर (रकवा 3 बीधा 16 विस्वा) पर अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा आवेदिका को बतौर पट्टे पर कृषि कार्य करने हेतु कई वर्षो से दी गयी थी, जिस पर आवेदिका काबिज होकर कृषि कार्य करती चली आ रही है। जिसका प्रकरण माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर में प्रकरण क्रमांक 1735/एक/2005 निगरानी प्रचलित है।

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :– निगरानी–3362–दो/2016 जिला–शिवपुरी

महिला कस्तूरी व अन्य विरूद्ध महिला पुष्पादेवी आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों/अभिभाषकों के हस्ताक्षर
17–06–2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। 3. यह निगरानी तहसीलदार शिवपुरी, जिला–शिवपुरी के प्र. क्र. 100/2014–15/अ–12 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 05–06–2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। 4. म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है। 5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी शिवपुरी, जिला–शिवपुरी को प्रत्यायोजित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक 08–08–2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये। 17/6/19 (आर.के. जैन) सदस्य	

में प्रकरण क्रमांक 1735/एक/2005 निगरानी प्रचलित है।